न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 103/2018/225 आरटीए

1. पुष्पा कंवर पत्नि स्व. रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी चक 10 एचएमएच तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. संतोष कंवर पत्नि स्व. राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. भरतसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील व जिला सीकर।
2. मनीष कंवर पुत्री स्व. राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. भरतसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील व जिला सीकर।
3. कृष्णा कंवर पुत्री स्व. राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. भरतसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील व जिला सीकर।

––रेस्पो0/प्रार्थीगण

4. सतपालसिंह पुत्र स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील व जिला सीकर।
5. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व सीकर जिला सीकर।
7. यूको बैंक मुख्य ब्रांच हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. प्ंजाब नेशनल बैंक शाखा रसीदपुरा तहसील व जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 316/2013 अनवानी राजेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम पुष्पा कंवर आदि

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 स. 1 ता 3

निर्णय दिनांक –10.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बिना सुने अभियान के दौरान दिनांक 11.11.2013 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 07.07.2017 को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो की अवहेलना करके गलत व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित कर दिये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर अपना कोई विवेचन नही देते हुए महज बिना किसी आधार के एकतरफा तौर पर पत्रावली

पेशी मे लेकर दिनांक 11.11.2013 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया जबकि इसमे बहस सुनी जाकर पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करके ही प्रार्थना पत्र पर कानूनी रूप से तीनो बिन्दूओ का पूर्ण विवेचन करने के उपरांत ही इस संबंध मे अपना आदेश पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने अपने खातेदार होने के संबंध मे तमाम साक्ष्य प्रस्तुत की। कानूनन भी एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही करके न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो की पालना नही कर अपीलांट को न्याय से वंचित कर दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के तहत आवश्यक था। विवादित प्रकरण का राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे ली जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय नही किया जा सकता। राजस्व अभियान मे केवल उन्ही प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है जिसमे पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया हो। विवादित प्रकरण का न्यायालय मे विधि अनुसार सुनवाई करके निर्णय किया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत शिविर मे एकपक्षीय निर्णित नही किया जा सकता है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 23.03.2018 से पूर्व नही हो पाई व ना ही अपीलांट को अपीलांट के अधिवक्ता ने इस संबंध मे कोई सूचना दी। दिनांक 23.03.2018 को मूल वाद मे नियत पेशी पर अपीलांट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर मूल वाद मे उपस्थिति दी तब इस आक्षेपित आदेश के संबंध मे अधिवक्ता द्वारा बताने पर जानकारी हुई। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है फिर भी अपीलांट ने देरी माफी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर दिया है। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही हुई हो, कतई असत्य कथन है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नियुक्त अधिवक्ता की मार्फत पैरवी कर रही थी तथ उसे इस प्रकरण की कार्यवाहियों की जानकारी रही है। अपील अपीलांट 9 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रत्येक दिन की देरी का कोई कारण भी प्रार्थना पत्र मे अंकित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 के पति व रेस्पो0 सं. 2 व 3 के पिता स्व. राजेन्द्रपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे

दिनांक 11.11.2013 को अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया था तथा वादग्रस्त भूमि को रहन बैय न करने व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपीलांट को पाबंद किया था। यह स्थगन आदेश निरन्तर प्रभावी रहा तथा अन्ततः अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.07.2017 को यह आदेश ताफैसला वादपत्र कन्फर्म किया है। अपीलांट ने 4 वर्ष तक इस अन्तरिम आदेश के संबंध मे कोई आपत्ति नही की है। अपीलांट बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की है जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 के पति व रेस्पो0 सं. 2 व 3 के पिता स्व. राजेन्द्रपाल सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। जबकि किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से बिना सहमति पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।
6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का यथासम्भव दो माह मे निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पारित अन्तरिम आदेश (अस्थाई निषेधाज्ञा) दिनांक 11.11.2013 प्रभावी रहेगा। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़